

अमाशासा

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] No. 337] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2019/आश्विन 2, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2019/ASVINA 2, 1941

### भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2019

फा. सं. एएआई/ओप्स/707/जी एच आर.—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994( 1994 का 55 ) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, इसके द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज) विनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:

- **1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** (1) इन विनियमों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज), संशोधन, विनियम, 2019 कहा जाएगा।
  - (2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज) विनियम, 2018 में, -
- (i) विनियम 2 में, खंड (ग) में, शब्द "इकाई" के लिए, "हवाई अड्डे पर अलग और स्वतंत्र अस्तित्व के साथ इकाई, " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (ii) विनियम 3 में, उप विनियम (8) में, शब्द "छत्तीस" के लिए शब्द "चौरासी" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

अनुज अग्रवाल, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III/4/असा./224/19]

नोट : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, दिनांक 30 अक्तूबर, 2018, की अधिसूचना संख्या एफ नं. एएआई/ ओप्स/707/जी एच आर-2018 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

4964 GI/2019 (1)

# AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2019

**F.No. AAI/OPS/707/GHR.**— In the exercise of the powers conferred by section 42 of the Airports authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Airports Authority of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Airports Authority of India (Ground Handling Services) Regulations, 2018 namely:—

- 1. **Short title and commencement.** (1) These regulations may be called the Airports Authority of India (Ground Handling Services), Amendment, Regulations, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Airports Authority of India (Ground Handling Services) Regulations, 2018, -
  - (i) in regulation 2, in clause (c), for the word "entity", the words "entity, with distinct and independent existence at the airport," shall be substituted;
  - (ii) in regulation 3, in sub-regulation (8), for the word "thirty-six", the word "eighty-four" shall be substituted.

ANUJ AGGARWAL, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./224/19]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 30th October, 2018, *vide* notification number F.No. AAI/OPS/707/GHR-2018, dated the 26th October, 2018.